थाना सेन पश्चिम पारा अन्तर्गत दिनांक 04.11.2023 को एक्सीडेन्ट से हुई हत्या का किया गया अनावरण

-दिनांक 04.11.2023 को हुई थी एक्सीडेन्ट से हत्या

-थाना सेन पश्चिम पारा व सर्विलान्स टीम ने किया घटना का खुलासा

-घटना में शामिल 01 अभियुक्ता व 02 अभियुक्त गिरफ्तार

-एक वैगनार कार व 02 मोबाइल बरामद

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट कानपुर नगर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय (दक्षिण) व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त महोदय (दक्षिण) के निर्देशन में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर के निकट पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान थाना प्रभारी सेन पश्चिम पारा ने दिनांक 29-11-2023 को गणेशपुर चौराहा कोयला नगर से समय करीब 14.30 बजे वांछित चल रहे अभियुक्त शैलेन्द्र सोनकर पुत्र रविन्द्र सोनकर निवासी 1596 जगतपुरी पुराना शिवली रोड थाना कल्यानपुर कानपुर नगर उम्र करीब 32 वर्ष एवं अभियुक्ता उर्मिला कुमारी उर्फ पिंकी पत्नी स्व0 राजेश गौतम निवासी 79 देहली सुजानपुर थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र 34 वर्ष एवं अभि0 विकास सोनकर पुत्र राम किशन सोनकर निवासी 122/393 शास्त्री नगर थाना काकादेव कानपुर नगर को हिरासत पुलिस में लिया गया। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त बैगनार यू0पी0 78 एफटी 0603 को हिरासत में लिया गया तथा वाहन नम्बर की जांच की गयी तो गलत पाया गया वाहन का सही नम्बर यू0पी0 78 एफएन 0603 है। अपराधियों द्वारा वाहन का नम्बर प्लेट इस आशय से गलत बनवाकर लगाया था कि सही नम्बर की जानकारी किसी को न हो सके। अपराध करने में प्रयुक्त वाहन में नम्बर प्लेट गलत इस्तेमाल करने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 420/468/471 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। अभियुक्तगण को वास्ते रिमाण्ड मा0 न्यायालय पेश किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्ता उर्मिला कुमारी उर्फ पिंकी का शैलेन्द्र सोनकर के साथ प्रेम प्रसंग था जिसकी जानकारी मृतक राजेश गौतम को हो गयी थी इस बात को लेकर मृतक राजेश गौतम तथा उसकी पत्नी उर्मिला कुमारी में आय दिन वाद विवाद होता रहता था। राजेश गौतम को अपने रास्ते से हटाने के लिए उर्मिला कुमारी द्वारा अपने प्रेमी शैलेन्द्र सोनकर से मिलकर एक्सीडेण्ट करवाकर मारने की योजना 06 माह पूर्व बनाई तथा शैलेन्द्र सोनकर एवं उर्मिला कुमारी द्वारा दो ड्राइवर सुमित कठेरिया एवं विकास सोनकर को हायर किया एवं मारने के लिए उनको 04 लाख रूपये दिये गये। दिनांक 04-11-2023 को राजेश गौतम जैसे ही टहलने के लिए निकला तो उर्मिला गौतम द्वारा अपने प्रेमी शैलेन्द्र सोनकर को सूचना दी कि वह घर से निकल गया है। पहले से घात लगाये बैठे सुमित कठेरिया एवं विकास सोनकर ने राजेश गौतम का अपनी अपनी कारों से पीछा किया एवं निश्चित समय एवं दूरी प्राप्त होने पर सुमित कठेरिया द्वारा अपनी ईको कार से एक्सीडेण्ट कर हत्या कर दी गयी। घटना कारित करते समय ईको विद्युत खम्बे से टकराने व टायर फट जाने के कारण फस गयी तभी अभियुक्त सुमित कठेरिया अपने साथ विकास

सोनकर की बैगनार में बैठकर मौके से फरार हो गया। तभी से सभी अभियुक्त फरार चल रहे थे आज मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता अभियुक्तगणः-

1. अभियुक्त शैलेन्द्र सोनकर पुत्र रविन्द्र सोनकर निवासी 1596 जगतपुरी पुराना शिवली रोड थाना कल्यानपुर कानपुर नगर उम्र करीब 32 वर्ष
2. अभियुक्ता उर्मिला कुमारी उर्फ पिंकी पत्नी स्व0 राजेश गौतम निवासी 79 देहली सुजानपुर थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र 34 वर्ष
3. अभि0 विकास सोनकर पुत्र राम किशन सोनकर निवासी 122/393 शास्त्री नगर थाना काकादेव कानपुर नगर उम्र 32 वर्ष

फरार अभियुक्त

सुमित कठेरिया उर्फ गोलू पुत्र केश कुमार निवासी आवास विकास नम्बर 3 थाना कल्यानपुर कानपुर नगर

बरामदगीः-

1. एक अदद बैगनार कार घटना में प्रयुक्त
2. दो अदद मोबाइल

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 53/2023 धारा 302/34/420/468/471 IPC थाना सेन पश्चिम पारा कमिश्नरेट कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री पवन कुमार थाना सेन पश्चिम पारा कमिश्नरेट कानपुर नगर ।
2. उ0नि0 श्री धर्मा कुशवाहा
3. हे0का0 78 मुकेश कुमार
4. हे0का0 131 सुरेश चन्द्र
5. का0 4402 सौरभ यादव
6. म0का0 4865 रंजना सिंह
7. का0 3356 प्रेमवीर सिंह

सर्विलांस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द मिश्रा सर्विलांस प्रभारी साउथ जोन
2. हे0का0 शिववीर सिंह
3. हे0का0 अजय सिंह
4. हे0का0 मयंकदीप
5. का0 नवनीत राजपूत
6. का0 अतुल यादव
7. का0 अक्षय पवार
8. का0 सोभित तोमर